

Page 2

सुसंगत स्वीकृति -

यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है वह केवल इसलिए कि वह कुछ रवों के वचन के अभिप्राय या उसे अभिप्राय करने के प्रयोजनार्थ अभिपुल व्यक्ति से की गई प्रवचना की परिणामस्वरूप या उस समय जब कि वह प्र था, की गई थी, कथन इसके लिये कि वह ऐसे प्रश्नों के, यदि उस समय की परिणामस्वरूप ऐसा प्र था, की गई थी, कथन इसके लिये कि वह ऐसे प्रश्नों के, यदि उसका लक्ष्य कि सा ही क्यों न रहा हो, उक्त से की गई थी, किन्तु उक्त के दिये उसके लिए आवश्यक नहीं था कथन इसलिए कि उसे यह प्रभावनी गती दी गई थी कि वह ऐसी स्वीकृति करने के लिये आवश्यक नहीं था और कि उसके विरुद्ध उक्त साक्ष्य दिया जा सकेगा कि संगत नहीं हो जाती।

धारा ३०. यह कही है कि यदि अभिपुल व्यक्ति द्वारा की गई कोई संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो इसलिए कि संगत नहीं होगी

- (1) कुछ रवों के वचन के कालस्वरूप
- (2) उसे प्राप्त करने के हेतु अभिपुल

पुस्तक  
२

उपनिषद् की वाई प्रवचना (यातासी)  
के मल्लवलय ।

- (3) उस समय वह मरिचा पिपे ३८ था।
- (4) उन प्रश्नों का उत्तर जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं था।
- (5) यह कि उस कारण की प्रभावशीलता नहीं थी मरिचा थी कि वह संसदीय संहिता करने के लिए आवश्यक नहीं था।

उपनिषद् रखने वाली बात सीद्ध  
यह कि ~~यह~~ यह था उन्ही  
संसदीय संहिता का लागू होना है जो  
सुसंगत है। जिसका है ही प्रस्तुत  
था कि उपनिषद् के प्रवचन  
में आने का वाई प्रश्न  
नहीं उठाया। था। २५, था २  
था। २६ में वर्णित है जो  
था कि उपनिषद् के मल्लवलय  
आदि नहीं हो सकेंगी।